न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 928–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–12–13 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 101/अपील/2010–11.

गुन्टू आ0 भाकलु
ग्राम लाखाझिरी
तहसील भैंसदेही जिला बैतूल .....आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन
2– उमेश पिता काल्या एवं अन्य
निवासीगण ग्राम लाखाझिरी
तहसील भैंसदेही जिला बैतूल .....अनावेदकगण

श्री सुनील मिश्रा, अभिभाषक, आवेदक
श्री विश्वास सोनी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/6/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 2 सहित ग्राम लाखाझिरी के ग्रामवासियों द्वारा तहसीलदार, भैंसदेही जिला बैतूल के समक्ष आवेदक गुन्टू ग्राम कोटवार के विरूद्ध शिकायत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 15/बी–121/2008–09 दर्ज कर दिनांक 28–6–10 को आदेश पारित किया जाकर आवेदक को कोटवार पद से हटाये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के

विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, भैंसदेही जिला बैतूल के प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 7–2–11 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किए जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 26–12–13 को आदेश पारित कर अपील अमान्य की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 26–4–2016 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि उभय पक्ष एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उभय पक्ष की ओर से आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण आवेदक द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संहिता की धारा 230 (ऊ) के अंतर्गत कोटवार के कार्य पटेल के अधीन होते हैं । पटेली नियमों के नियम 18 (11) के अधीन पटेल ही कोटवार के कार्यों के बारे में शिकायत कर सकता है ।

(2) संहिता की धारा 230 (ए) के अंतर्गत पदच्युति का दण्ड बहुत गंभीर है, वह मामूली आधारों पर दिया जाना उचित नहीं है ।

(3) आवेदक के विरूद्ध जो आरोप लगाये गये हैं, वह प्रमाणित नहीं है, क्योंकि साक्षियों द्वारा अपने कथनों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा ग्रामवासियों को परेशान किया हो, या पैसों की मांग की गई है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत मद में प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है ।

(5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 230 के विपपरीत आवेदक को बिना कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये पदच्युत करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत आदेश पारित किया गया है ।

4/ निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा यह पाये जाने पर कि आवेदक द्वारा कोटवार पद का कार्य संतोषप्रद ढंग से निर्वाह नहीं किया गया है, और कार्य करने हेतु ग्रामवासियों से रूपयों की मांग करता है तथा शासन की योजनाओं की जानकारी से ग्रामवासियों को अवगत नहीं कराता है, आवेदक को सेवा से पदच्युत करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा भी उपरोक्त स्थिति को विचार क्षेत्र में लेकर तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–13 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर